



**विधि और विधायी कार्य विभाग, ग्रंथालय के लिए पुस्तकें प्रदाय करने हेतु
निविदा की शर्तें**

1. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय नया रायपुर में संलग्न फार्म "बी" के अनुसार पुस्तक प्रदाय करने हेतु निविदा आमंत्रण की जाती है, ये दरें दिनांक 31/03/2018 तक के लिये अथवा जब तक शासन/अधोहस्ताक्षरकर्ता विहित करे, प्रभावशील रहेंगी।
2. निविदाएं सील बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड ए.डी./स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 12/12/2017 (दिन मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक इस कार्यालयमें प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं एवं क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा की शर्तों से सहमत विक्रेता/प्रदायकर्ताओं को अमानत राशि रूपये 2000.00 (रूपये दो हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. जो **UNDER SECRETARY LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPT.** मंत्रालय नया रायपुर के नाम पर देय हो, संलग्न करना आवश्यक है। यह राशि/ड्राफ्ट अनुबंध की समाप्ति के पश्चात् वापस की जा सकेगी।
4. प्रदाय किये जाने वाले पुस्तकों की मुद्रित दरों पर देय छूट स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए। एक बार निर्धारित दरों में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।
5. निविदाकर्ता एक बड़े सील बंद लिफाफे में **निविदा वर्ष 2017-18** अंकित करते हुए फर्म का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।
उक्त लिफाफे में निम्नानुसार दो लिफाफा रखेंगे :-
(अ) अमानत की राशि से संबंधित लिफाफा :- फार्म "ए" अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र, पेन/टीन नम्बर, /जी.एस.टी. नम्बर/ आयकर प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न कर प्रेषित करें।
(ब) अंकित दरों पर प्रस्तावित अधिकतम छूट के प्रतिशत के विवरण का लिफाफा :- निविदा शर्तों के साथ संलग्न फार्म "बी" में ही प्रस्तावित अधिकतम छूट का प्रतिशत अंकित कर प्रेषित करें।
6. प्रथमतः लिफाफा "अ" खोला जायेगा जिसमें फार्म "ए" भरकर नियमानुसार राशि का ड्राफ्ट अधिकृत विक्रेता का प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न होने पर ही लिफाफा "ब" खोला जावेगा।
7. फार्म "ब" पर अंकित अधिकतम छूट देने वाले पुस्तक विक्रेता को पुस्तक आपूर्ति के आदेश प्रसारित किये जायेंगे, जिसे निर्धारित समय में प्रदाय किया जाना होगा।
8. पुस्तकें विधि और विधायी कार्य विभाग, ग्रंथालय तथा समस्त शासकीय लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालयों तक स्वयं विक्रेता/निविदाकर्ता को विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुंचाना होगा। परिवहन, पैकिंग इत्यादि हेतु कोई अतिरिक्त व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।



//2//

- 9 पुस्तकों के क्रय आदेश के 15 दिवस के भीतर विक्रेता को पुस्तकों की आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित अवधि में आपूर्ति न करने की स्थिति में यदि अन्य फर्म से उंची दरों पर पुस्तक क्रय करना पड़ी तो, उंची दर की अन्तर की राशि की कटौती संबंधित निविदाकर्ता के जमा अमानत राशि से करने का अधिकार विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को होगा।
- 10 पुस्तक विक्रेता को क्रय आदेश में वर्णित शत-प्रतिशत पुस्तकें प्रदाय करना आवश्यक होगा।
- 11 प्रदाय की जाने वाली पुस्तकें कटी-फटी, मुड़ी हुई या गंदी नहीं होनी चाहिए।
- 12 पुस्तकों के वास्तविक नवीनतम संस्करण ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 13 देयक की तीन प्रतियां भुगतान हेतु प्रस्तुत करने होंगे। असाधारण परिस्थितियों में देयक भुगतान देरी के लिए किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 14 जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 15 प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों/प्रकाशनों को विधि और विधायी कार्य विभाग तथा समस्त शासकीय लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
- 16 विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का निर्णय अंतिम होगा, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
- 17 समस्त या किसी भी निविदा को कारण बताये बिना निरस्त करना, संख्या को कम या अधिक करना गुणवत्ता के आधार पर उच्च दर मान्य करना आदि का अधिकार प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को होगा।
- 18 निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकर्ता को उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य एवं बन्धनकारी हैं।

(टी.सी. त्रिपाठी)

उप सचिव (स्थापना)

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग



फार्म - "ए"

प्रेषक,

मेसर्स
फर्म संचालक का पूरा नाम
फर्म का पूरा पता
.....

फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक
फर्म का पेन/टिन क्रमांक

प्रति,

अवर सचिव (स्थापना)
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
कक्ष क्रमांक - ए.डी. 2-7, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- विधि और विधायी कार्य विभाग के ग्रंथालय तथा शासकीय लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालयों में पुस्तकें प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:- निविदा सूचना क्रमांक

महोदय,

हम/मैं विधि और विधायी कार्य विभाग के ग्रंथालय तथा शासकीय लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालयों में उपयोग हेतु पुस्तकों की दरें संलग्न निविदा फार्म क्रमांक में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं/रहा हूँ। हमने/मैंने विधि और विधायी कार्य विभाग ग्रंथालय, मंत्रालय नया रायपुर को वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के लिए पुस्तकों का प्रदाय करने विषयक निविदा सूचना क्रमांक में वर्णित विवरण, शर्तें एवं नियमों का भली भांति अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है।

2/ हम/मैं इन शर्तों एवं नियमों को पूर्ण रूप से मानने के लिए सहमत व बाध्य हूँ/हैं।

3/ हम/मैं अमानत की राशि रुपये का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक बैंक का नाम व पता संलग्न कर रहे हैं/रहा हूँ।

4/ हमने/मैंने निविदा के सन्दर्भ में निम्न प्रपत्र/दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करते हैं/करता हूँ :-

अ) निविदा दरों की प्रस्तुत सूची :- (पृष्ठ संख्या)

ब) अधिकृत विक्रेता संबंधी प्रमाण पत्र :-

स) विक्रय कर क्लियरेंस प्रमाण पत्र :-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

दिनांक

दूरभाष क्रमांक



फार्म - "बी"

'A' प्रस्तावित अधिकतम छूट का प्रतिशत (अंकित मूल्य पर)

स.क.	पुस्तक का नाम	हिन्दी संस्करण	अंग्रेजी संस्करण
1	विधि पुस्तकों के प्रकाशक का नाम		
2	विधि नियम/अधिनियम		
3	संदर्भग्रंथ शब्दकोष, विश्वकोष, इन्साईक्लोपिडिया, ईयरबुक		
4	राज्य/केन्द्रीय शासन के नियम, अधिनियम		

- 'B'
1. निविदाकर्ता का नाम
 2. निविदाकर्ता का पूरा नाम
 3. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
 4. फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक
 5. फर्म का पेन/टिन क्रमांक
 6. बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक
 7. दूरभाष क्रमांक

15/11/17

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

एवं मुद्रा